



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2003/का.आ./02-181/2021

दिनांक : 10.09.2021

कार्यालयादेश

श्री गौरी शंकर ठाकुर, शोधार्थी, एम.फिल (सत्र 2019-21) शिक्षा विभाग के विरुद्ध प्रमाणित अशोभनीय एवं अमर्यादित व्यवहार के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय तथा छात्रावास से निष्कासित किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
10/09/21

प्रति (ईमेल द्वारा) :

श्री गौरी शंकर ठाकुर
शोधार्थी, एम.फिल (सत्र 2019-21) शिक्षा विभाग
म.गां.अं.हिं.वि, वर्धा

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ
4. अध्यक्ष, शिक्षा विभाग
5. कुलानुशासक
6. छात्रावास अधीक्षक, बिरसा मुंडा छात्रावास
(तत्काल प्रभाव से बिरसा मुंडा छात्रावास का कक्ष संख्या 18 खाली कराने के लिए)
7. सहायक कुलसचिव (प्रवेश प्रकोष्ठ एवं परीक्षा विभाग)
8. संबंधित पत्रावली